

फरव अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर (ग्रामीण)।

संख्या :- 317/2023

रघुवीर सिंह बनाम अरुणा

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	निर्णय विवरण
28.11.2024	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता रमेश चौधरी हाजिर। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 को सम्यक तागील के उपरान्त भी हाजिर नहीं, अतः अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है।</p> <p>प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। प्रार्थी को सुनने के उपरान्त हम पाते हैं कि विवादित भूमि पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी सहखातेदार है, एवं विवादित भूमि का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है।</p> <p>अतः वाद बहुलता को रोकने एवं वाद की विषयवस्तु को बनाए रखने हेतु प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 2 में उल्लेखित भूमि पर उभय पक्षों को ताफैसलावाद मौके की यथारिथति बनाए रखने हेतु पाबंद किया जाता है।</p> <p>पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: right;">(4) उपखण्ड अधिकारी चाकसू(जयपुर)</p>	